अतिसार (हैजा और अठरांत्रशोथ) :

1. सुभेद्य क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था ।

2. विभिन्न प्रचार माध्यमों से उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार ।

3. जल वाहित रोगों की निरंतर अनुवीक्षा और निगरानी ।

4. मलबे को नियमित रूप से हटाना और नालियों की सफाई ।

5. क्लोरीन गोलियों और ओ० आर० एस० पैकेटों का वितरण ।

6. सड़े-गले/कटे हुए फलों और अन्य अस्वास्थकर खाद्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध ।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के भवन का ढहना

613. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जबलपुर में बनाये जा रहे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के भवन की छत मई, 1992 के पहले हफ्ते में ढह गई ;

(ख) इस भवन की छत के, ढहने के कारण सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी है ;

(ग) क्या सरकार ने भवन के ढह जाने के लिए जिम्मेदार भवन निर्माता ठेकेदार और निरीक्षणकर्ता इंजीनियर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) इस भवन के बनने में कितना समय लगने की संभावना है और भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(च) क्या निर्माणाधीन भवनों और पुलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा भविष्य में इस कारण से होने वाले जन-धन की हानि को रोकने हेतु संबंधित ठेकेदार और निरीक्षणकर्ता इंजीनियर को दंडित करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनायी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जबलपुर में निर्माणाधीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के भवन की छत का एक भाग दिनांक 11-5-1992 को ढह गया ।

(ख) भवन की छत ढह जाने के कारण सरकार को कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि ठेकेदार ने छत के ढह जाने और कार्य को पुनः करने की पूरी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली है ।

(ग) और (घ) आवश्यक कार्रवाई करने के लिए घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं ।

(ङ) भवन के निर्माण का कार्य दिनांक 5-9-199[illegible] को शुरू किया गया था जिसे 21 महीने अर्थात् जून, 199[illegible] तक पूरा किया जाना निर्धारित था, और इसके निर्धारित तारीख तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

(च) ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा

Family Welfare Centres in Maharashtra

614. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of Family Welfare centres at present functioning in Maharashtra; and

(b) the number of persons who had undergone family planning operations during 1991-92?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SMT. D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) As per available latest information, Family Welfare services are provided in the Maharashtra State through a net work of 12204 Centres which comprise of rural and urban Family Welfare Centres, Urban Health posts, Post Partum Centres, Community Health Centres, Primary Health Centres and Sub Centres.

(b) The provisional number of sterilisation operations performed in Maharashtra State during the year 1991-92 is 335774.

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को "परिवार संबंधी परियोजनाएं"

515. **श्री रणजीत सिंह :**

श्री कैलाश नारायण सारंग :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मई, 1992 के स्टेट्समैन में "आई.सी.एम.आर. प्रोजेक्ट्स फेल टू बीयर फ्रूट्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा देश में "यूयूमैन रिसर्च रिप्रोडक्शन सेन्टर्स" स्थापित किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो अप्रैल, 1992 तक कितने केन्द्र स्थापित किए गए; और

(घ) इनमें से कुल कितने केन्द्र शोध कार्यों में रत है, और इस अवधि तक इन केन्द्रों द्वारा शोध संबंधी क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई तथा इन केन्द्रों का केन्द्र-वार-वार्षिक बजट कितना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अप्रैल, 1992 तक 33 केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(घ) सभी 33 केंद्र गर्भनिरोधन और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र में नैदानिक तथा प्रचालनात्मक अनुसंधान अध्ययनों में लगे हुए हैं। प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :–

— राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में कॉपर टी 200 बी तथा मुखसेव्य गोलियों का प्रचलन ;

— महिला नसबंदी के लिए दिशानिर्देश तैयार करना ;

— नए गर्भनिरोधकों पर अध्ययन/अनुसंधान ;

— परिवार कल्याण सेवाओं की कवरेज और गुणवत्ता में सुधार ;

इन केंद्रों का वार्षिक बजट विवरण में दिया गया है।